कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, देवली

NH-12, राजकीय अस्पताल के पास, देवली (टोंक), राजस्थान -304804
Email: gc_deoli@rediffmail.com , govtcollegedeoli@gmail.com
Phone/Fax : 01434-232202

कमांक: रा.म.दे./ दिनांक :18.8.22

छात्रसंघ चुनाव

विद्यार्थियों के लिए निर्देश –

1. छात्रसंघ चुनाव लिंगदोह समिति की अनुशंषाओं के आधार पर होगें ।
2. केवल पूर्णकालिक विद्यार्थी ही छात्रसंघ चुनाव लड़ सकते हैं । जिन विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई है अथवा परीक्षा परिणाम नहीं आया है उन विद्यार्थियों को एकबारीय प्रवेश प्रकिया की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा ।
3. लिंगदोह समिति के अनुसार कोई विद्यार्थी छात्रसंघ पदाधिकारी के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है । कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव अधिकत्तम दो बार लड़ सकता है ।
4. छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष व महासचिव का चुनाव लड़ने के लिए स्नातक तृतीय वर्ष या इससे उपरी कक्षा मे अध्ययनरत होना आवश्यक है ।
5. उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष या इससे उपर कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है ।
6. कक्षा प्रतिनिधि प्रति 40 विद्यार्थियों पर एक व न्यूनत्तम 30 अतिरिक्त होने पर एक अतिरिक्त कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित होगा ।
7. छात्रसंघ के किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की अधिकत्तम आयु सीमा स्नातक स्तर के लिए 23 वर्ष व स्नातकोत्तर हेतु 25 वर्ष निर्धारित है ।
8. आयु की गणना नामांकन दाखिल करने के दिनांक को आधार मानकर की जाएगी ।
9. जो विद्यार्थी एकबारीय अस्थायी प्रवेश लेकर निर्वाचन में भाग ले रहे हैं एवं 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पथ के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्वाचन की योग्यता पूर्ण नहीं करते है तो चुनाव स्वतः ही निरस्त हो जाएगा ।
10. कोई भी छात्र नेता संगठन से संबंध होना या महाविद्यालय के शांतिपूर्ण वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक व कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
11. सत्र 2021–22 के नियमित विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित हुए है, व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अस्थायी प्रवेश लेकर शपथ के अध्यधीन छात्रसंघ चुनाव लड़ सकता है ।
12. मतदाता मतदान के दिन अपने साथ पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वर्तमान सत्र 2022–23 की फीस रसीद या गत सत्र 2021–22 में महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र साथ लेकर आए । इसके अभाव में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
13. मतदाता महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत काउंटर से अपना वोटर आई.डी. प्राप्त करेगा और संबंधित मतदान बूथ पर मतदान के लिए पहुचेगा ।
14. मतदाता को किसी भी परिस्थिति में मोबाईल फोन के साथ महाविद्यालय में प्रवेश नही दिया जाएगा ।
15. केवल प्रत्याशियों का प्रवेश निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आई.डी. के आधार पर सीमित अवधि के लिए किया जाएगा ।

प्राचार्य

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Scanned by CamScanner